# कार्यालय उप वन संरक्षक, दौसा

क्रमांकःएफ( )स्टोर/उवसं/2024–25/ 5818 दिनांकः– 23/7/24

**खुली–निविदा सूचना सं. 05/2024–25**

इस वनमण्डल के अधिनस्थ रेंजों बांदीकुई/दौसा/सिकराय/लालसोट/महवा में वन विकास की विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम् से संपादित कार्यो के विगत 2 वर्षो (2022–23 एवं 2023–24) के लेखों का अंकेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए खुली–निविदा (Open-Tender) आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक पंजीकृत/रजिस्टर्ड, चार्टेड अकाउन्टेटस अपने प्रस्ताव अनुभव प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 29.07.2024 को 12.00 PM बजे तक अपनी सीलबंद निविदा प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन उपस्थिति निविदा दाताओं के समक्ष सांय 1.00 बजे खोली जावेगी।

| कार्य का विवरण | अनुमानित VFPMC की कुल संख्या | अनुमानित लागत (लाखों में) | अमानत राशि (2%) | निविदा शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| VFPMC लेखों का अंकेक्षण | 132 | 1.05 लाख | 2100/– | 200/– |

निविदा से संबंधित समस्त जानकारी एवं अन्य शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है, अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, **'उप वन संरक्षक, दौसा'** के नाम ही स्वीकार होगा। कैश/चैक से अमानत राशि स्वीकार्य नहीं है। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 29.07.2024 समय 11.00 ए.एम. बजे तक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या राजस्थान, लोक उपापन पोर्टल (SPPP Portal) से डाउनलोड किया जा सकता है।

**(E-mail Id:- dcf.dausa.forest@rajasthan.gov.in)**

**(अजीत उचोई)**
**उप वन संरक्षक**
**दौसा**

क्रमांक/सम/5879–5899 दिनांक– 23/7/24

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. उप वन संरक्षक, जयपुर/जयपुर (उत्तर)/अलवर/सीकर/झुन्झुनु।
5. सहायक वन संरक्षक, दौसा/महवा।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, दौसा/महवा/लालसोट/सिकराय/बांदीकुई।
7. लेखा/विकास/कैश शाखा कार्यालय हाजा।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/जिला परिषद/पंचायत समिति/नगर परिषद, दौसा।

**उप वन संरक्षक**
**दौसा**



Scanned by CamScanner

# कार्यालय उप वन संरक्षक,दौसा

**खुली–निविदा सूचना सं. 05/2024–25**

**निविदा–प्रपत्र**

**अनुमानित लागतः– 1.05 लाख** **धरोहर राशिः– 2100/–** **निविदा प्रपत्र शुल्कः– 200/–**

1. दौसा वन मण्डल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से संपादित कार्यो का विगत 02 वर्षो 2022–23 व 2023–24 तक के अंकेक्षण हेतु निविदा प्रपत्र।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पताः– ................................................................................................................................................E-Mail ID................................................................
**Reg. No.**........................................ **PAN** ..........................................**Mobile No**-----------------------------
3. जमा धरोहर राशि रू. 2100/– के संबंध में बैंक ड्राफ्ट संख्या/दिनांक...................................
बैंक का नाम..................................
4. निविदा प्रपत्र फीस रूपये **200/–** रसीद संख्या/डी.डी संख्या ............................
दिनांक............................द्वारा जमा करा दी गई है।
5. **समितियों के अंकेक्षण कार्य हेतु दरें निम्नानुसार है–**

| कार्य/सेवा का विवरण | प्रस्तुत दर प्रति VFPMC प्रति वर्ष (रू.) | |
|---|---|---|
| | अंको में | शब्दों में |
| **VFPMCs का अंकेक्षण कार्य** | | |

**निविदादाता के हस्ताक्षर**
**मय नाम, पता एवं मोबाईल नंबर**

उप वन संरक्षक,
दौसा



Scanned by CamScanner

# कार्यालय उप वन संरक्षक,दौसा

**खुली–निविदा सूचना सं. 05/2023–24**

**निविदा शर्तेः–**

1. निविदा फार्म बेचने की तिथि 29.07.2024 तक **मध्यान्ह 11.00 बजे** तक रहेगी।
2. निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक 29.07.24 तक **मध्यान्ह पश्चात 12.00 बजे** तक रहेगी।
3. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 29.07.24 को दोहपर सांय **1.00 बजे** रहेगी।
4. सरकारी कार्यालय में कार्य या अनुभव प्रमाण पत्र/इनकम टैक्स प्रमाण पत्र/एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. निविदा उप वन संरक्षक, दौसा को संबोधित होनी चाहिये।
6. निविदा फीस रूपये **200/–** जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।
7. निविदा अमानत राशि रू. **2100/–**जमा के संबंध में पूर्ण विवरण होना चाहिये। अमानत राशि डी.डी. के माध्यम से ही स्वीकार्य है।
8. दौसा वन मण्डल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम व वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से संपादित 2 वर्षो के कार्यो का अंकेक्षण कार्यादेश से दो माह की अवधि में पूर्ण कर रिपोर्ट दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।
9. प्राप्त दरें 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगी।
10. निविदा के साथ RTPP Act 2012 & Rules 2013 Annexure A, B, C,D संलग्न करना अनिवार्य है।
11. पैन कार्ड/ रजिस्ट्रेशन/बैंक खाता विवरण आदि संलग्न है।
12. न्यूनतम दरें अनुमोदन उपरांत निविदादाता द्वारा नियमानुसार 500 रू. के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पर करार पत्र सम्पादित कर शेष 3 प्रतिशत प्रतिभूमि राशि इस कार्यालय में जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही कार्यादेश दिया जावेगा।
13. अंकेक्षण कार्य प्रत्येक क्षेत्रीय वन अधिकारी दौसा/लालसोट/बांदीकुई/सिकराय/महवा कार्यालय में करना होगा।
14. अंकेक्षण उपरांत Balance Sheet, P&L Accunt, Receipt Payment Sheet, Closing Balance, Bank Reconciliation, CA Report आदि तैयार कर एक प्रति VFPMC को एवं एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी तत्पश्चात स्वीकृत दरों के अनुरूप बिल का भुगतान संबंधित VFPMC के द्वारा किया जावेगा।
15. निविदा की शर्ते हस्ताक्षरियुक्त संलग्न करना है।
16. **सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।**
17. घोषणा प्रपत्रों S.R प्रारूप–11 संलग्न करना अनिवार्य है।
18. निविदा के साथ शर्ते एवं अन्य सलंग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित करना होगा।

**बोली प्रतिभूति राशि** – (क) सफल बोलीदाता को कार्य की लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति (Security) राशि जमा करानी होगी। अमानत राशि के रूप में जमा राशि समायोजन की जा सकेगी।

(ख) बोली प्रतिभूति (अमानत) राशि का प्रतिदाय – असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद लौटायी जावेगी।

(ग) **बोली प्रतिभूति राशि में आंशिक छूट** –उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास सूक्ष्य एवं लघु औद्योगिक ईकाई के रूप में पंजीकृत है, उन मदों के संबंध में जिनके लिए

उप वन संरक्षक
दौसा



Scanned by CamScanner

वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, बोलीयें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर अमानत राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलीओं के संबंध में या बोलीओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलीओं के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोलीओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

19. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** –बोली प्रतिभूतिराशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा –

(1) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद बोली प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

20. (1) **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति** – (1) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोलियां स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति 2% बोली प्रतिभूति को समायोजित करते हुऐ शेष 3% राशि जमा करानी होगी।

(2) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम प्रदाय से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सानतर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नहीं हैं, कार्य संपादन राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(5) **कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण** –कार्य संपादन की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा –

(क) जब बोली के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

21. **भुगतान** –(1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा उपापन संस्था को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए

उप वन संरक्षक
दौसा



Scanned by CamScanner

जाएंगे। किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। भुगतान बिलों से नियमानुसार करों (TDS/GST) एवं अन्य नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

22. **परिसमापित नुकसानी** –

(1) बिड डाक्यूमेंट में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(2) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन निर्माण/कार्यो मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका बोली दाता प्रदाय करने में असफल रहा है। बिल की राशि में से वसूल की जावेगी।

(i) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए 5 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

(ii) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(iii) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(iv) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(v) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा बोली दाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

23. **वसूलियाँ**– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

24. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

25. **उपापन संस्था** – किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाला ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

26. बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा –

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फार्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

उप वन संरक्षक
दौसा



Scanned by CamScanner

(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर

(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

27. रिस्क एण्ड कोस्ट संवेदक द्वारा यदि सेवा या माल की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो यह सेवा या माल की प्रदायगी खुले बाजार से प्राप्त कर ली जावेगी। जिसके अधिक मूल्य की वसूली संवेदक से की जावेगी।

28. यदि समस्त लिफाफे यथा अपेक्षित मुहरबंद और चिन्हित नहीं किये जाते है तो उपापन संस्था इसके परिणामों के बारे में कोई उत्तरादायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

29. यदि बोली के निर्वचन आशय या बोली की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

30. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर (राजस्थान) में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

31. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले सामान को सही स्थिति में उपापन संस्था के क्षेत्राधिकार में का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।

32. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 प्रावधानो के अनुसार बोलीकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

33. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के Section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बिड का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी मुख्य वन संरक्षक,जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उदे्श्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर होंगे।

34. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपये 2500/- है। द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु फीस राशि रूपये 10000/- रूपये निर्धारित है। यह राशि अप्रतिदेय होगी। फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम से देय होगा।

35. निविदा संबंधी समस्त अधिकार यथा मात्रा घटाने/बढाने, निविदा स्वीकार /अस्वीकार करना आदि, उप वन संरक्षक, दौसा के पास सुरक्षित होंगे।

उपरोक्त शर्तो के अलावा सा.वि.ले.नि. एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 एवं तत्संबंधी नियमों की शर्तें भी मान्य होगी। यदि उक्त शर्तो में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013के तहत कोई विसंगति पाई गई राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 की शर्ते मान्य होगी।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील**
**निविदादाता के हस्ताक्षर**
**मय मोहर**

उप वन संरक्षक
दौसा



Scanned by CamScanner

एस.आर प्रारूप–11

# बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

**देखिये नियम 48 (vii)**

**खुली–निविदा सूचना सं. 05/2024–25**

मैं/ हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रता/सोल विक्रेता वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

**बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील**

उप वन संरक्षक
दौसा

Scanned by CamScanner

# Transparency Act

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process; (g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

   a. have controlling partners/ shareholders in common; or

   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

   e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

   f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

## Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

### Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of ............................................... in response to their Notice Inviting Bids No . ........................... Dated .................. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

**Date :**

**Place :**

**Signature of bidder**

**Name:**

**Designation:**

**Address:**

## Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is :

The designation and address of the Second Appellate Authority is :

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action; omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (l) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

# Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....................of ...................

Before the ..............................(First / Second Appellate Authority)

1. **Particulars of appellant:**

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. **Name and address of the respondent(s):**

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer I authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal: ..........................................................................................

   ............................................................................ (Supported by an affidavit)

7. Prayer : .......................................................................................................

Place ..........................................

Date ...........................................

Appellant's Signature

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall Be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.